आखिरी जांच: 22 अक्टूबर 2026 · Tea Tribes and Adivasi Welfare Department, Government of Assam

Grants to Women SHGs

असम सरकार चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय के महिला स्वयं सहायता समूहों को 25,000 रुपये का अनुदान देती है, जिसे आमदनी बढ़ाने वाले कामों में लगाया जा सकता है।

क्या मिल सकता है

चुने गए हर महिला स्वयं सहायता समूह को 25,000 रुपये का अनुदान, जो ई-ट्रांसफर से समूह के बैंक खाते में आता है और परिवार की आमदनी बढ़ाने वाले काम के लिए है। कितने समूह चुने जाएंगे, यह सालाना फंड पर निर्भर है।

किसके लिए है

असम के चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय के 10 से 20 सदस्यों वाले महिला स्वयं सहायता समूह।

मुख्य शर्तें

- समूह में 10 से 20 सदस्य हों, और हर सदस्य की उम्र 18 से 59 साल के बीच हो।
- सभी सदस्य असम में रहने वाले भारतीय नागरिक हों और चाय जनजाति तथा आदिवासी समुदाय से हों।
- समूह का ऐसा बैंक खाता हो जिसमें संयुक्त हस्ताक्षर की व्यवस्था हो।
- समूह खंड विकास कार्यालय और असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई में पंजीकृत हो।
- जिस समूह को एक बार यह अनुदान मिल चुका है, उसे कम से कम 3 साल तक दोबारा अनुदान के लिए नहीं माना जाता।

दस्तावेज़

- समूह के सभी सदस्यों वाली समूह फोटो

आवेदन कैसे करें

1. चाय जनजाति एवं आदिवासी कल्याण निदेशालय की वेबसाइट और स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देखें।
2. समूह वेबसाइट के लिंक से जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करे और पावती रसीद संभालकर रखे।
3. जब उप-मंडल कल्याण अधिकारी समूह को बुलाएं, तब रसीद और मूल दस्तावेज दिखाएं। इसके बाद उप-मंडल समिति आवंटन के हिसाब से समूह चुनती है और पैसा बैंक ट्रांसफर से आता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://teatribes.assam.gov.in/sites/default/files/public_utility/GRANTS%20TO%20WOMEN%20SHG.pdf
आधिकारिक PDF: https://teatribes.assam.gov.in/sites/default/files/public_utility/GRANTS%20TO%20WOMEN%20SHG.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/assam/as-tea-tribes-grants-women-shgs/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।